प्रेस नोट **दिनांक 08.02.2026**

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 04 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 41 मामलों में से 11 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 08.02.2026 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 41 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 11 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 04 दंपति आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 05 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी तथा 02 मामले में एफआईआर हुआ। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 22.02.2026 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय,शाहिद पैरिस,मौलवी अरशद रहे तथा सहयोगार्थ मन्जू सिंह इन्स्पेक्टर,एस आई समरजीत यादव,पूनम पाल,राजलक्ष्मी त्रिपाठी उपस्थित रही ।

CTET परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए 'सॉल्वर' गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ, श्री इलामारन जी के निर्देशन में प्रतियोगी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह व कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.02.2026 को अमृत पब्लिक स्कूल, सहादतपुरा में आयोजित CTET की प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक जांच में संदिग्धता पाए जाने पर केंद्र व्यवस्थापक/प्रिंसिपल की सूचना प्राप्त हुई जांच में ज्ञात हुआ कि मूल अभ्यर्थी सोना सम्राट मौर्या के स्थान पर सुशील कुमार वर्मा नामक व्यक्ति कूट रचित (फर्जी) दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा दे रहा था। अभियुक्त सुशील कुमार वर्मा पुत्र वकील वर्मा नि0 ग्राम पकड़ी हरख बसन्त थाना पकड़ी जनपद बलिया उम्र करीब 30 वर्ष को परीक्षा केन्द्र से समय करीब 2 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उक्त के सम्बंध में मु0अ0सं0 43/2026 धारा 112(2), 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) BNS एवं 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 पंजीकृत किया गया। तथा चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. सुशील कुमार वर्मा पुत्र वकील वर्मा नि0 ग्राम पकड़ी हरख बसन्त थाना पकड़ी जनपद बलिया उम्र करीब 30 वर्ष

वाँछित अभियुक्त का विवरणः-

1. सोना सम्राट मौर्या पुत्र देवेन्द्र कुमार मौर्या निवासी कसेसर पोस्ट कुसुन्दर थाना भीमपुरा जनपद बलिया

बरामद सामग्री का विवरणः-

1. आधार कार्ड ,प्रवेश पत्र ,मूल अभ्यर्थी आधार कार्ड ,उत्तर पंजिका की छाया प्रति

पजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 43/2026 धारा 112(2), 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) BNS एवं 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 थाना कोतवाली मऊ

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ.नि. देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. का. राकेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

अपहरण से संबंधित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 08.02.2026 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के गाव से मु0अ0स0 362/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित बाल अपचारी विनय कुमार पुत्र विक्की कुमार निवासी ग्राम चकरा अवल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कब्जे से अपहृता को सकुशल बरामद कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

बाल अपचारी का विवरण-

1. विनय कुमार पुत्र विक्की कुमार निवासी ग्राम चकरा अवल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 362/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस

बरामदगी-

1. अपहृता लड़की सकुशल बरामद

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अमितेश मिश्रा
2. का0 राघवेन्द्र सिंह